



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 170]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 31, 2012/माघ 11, 1933

No. 170]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 31, 2012/MAGHA 1, 1933

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2012

का.आ. 195(अ).—केन्द्रीय सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 78 (अ), तारीख 4 फरवरी, 1999 द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 6 के 0.000 कि.मी. से 136.000 कि.मी. तक (कलकता - खड़गपुर सेक्शन) का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् “प्राधिकरण” कहा गया है) को सौंपा है ;

और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 14 के प्रावधान के अनुसरण में प्राधिकरण ने मैसर्स अशोका धानकुनी खड़गपुर टोलवे लिमिटेड, जो 10.01.2011 को प्रस्तुत की गई बोलियों का सफल बोलीदाता है , और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय अशोका हाउस, अशोका मार्ग, नाशिक - 422011, में है (जिसे इसमें इसके पश्चात् “रियायतग्राही” कहा गया है), के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 6 के 17.600 कि.मी. से 129.000 कि.मी. तक (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त खण्ड कहा गया है) धानकुनी - खड़गपुर सेक्शन का छः लेन के विभाजित कैरिजवे के रूप में विकास तथा प्रचालन और अनुस्क्षण के लिए करार किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त सेक्शन कहा गया है) ।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् “नियम” कहा गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त खण्ड के निर्माण, अनुस्क्षण, प्रबंध और प्रचालन, निवेशित पूंजी पर ब्याज, उचित लाभ, यातायात का परिमाण तथा प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच हुए करार में निहित अवधि को ध्यान में रखते हुए, यह अधिसूचित करती है कि उक्त खण्ड के उपयोग के लिए यांत्रिक यानों पर चारग्या अधिक लेन के खण्डों के उपयोग हेतु निवल सड़क खण्ड की लम्बाई के लिए सारणी 1 के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट दर पर शुल्क (जिसे इसमें इसके पश्चात् “आधार दर” कहा गया है) लगाया और संग्रहीत किया जाएगा और पुलों/संरचना/बाइपास, जिनकी लागत

पचास करोड़ या अधिक है, का उपयोग करने वाले नीचे सारणी 1 और 2 में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर सारणी सं. 2 में विनिर्दिष्ट आधार दरों पर शुल्क उद्ग्रहित और संग्रहीत किया जाएगा, और वाणिज्यिक प्रचालन या इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, जो भी पश्चात्पूर्वी हो, करार में विनिर्दिष्ट अवसान की तारीख तक शुल्क का संग्रहण करने तथा उसे प्रतिधारित के लिए उक्त रियायतग्राही को प्राधिकृत करती है ;

सारणी 1

यान का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. आधार दर (रूपये में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्का मोटर यान	0.65
हल्के वाणिज्यिक यान, हल्के माल यान अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
भारी निर्माण मशीन (एचसीएम) अथवा मिट्टी खोदने के उपकरण (इएमइ) अथवा मल्टी एक्सल वाहन (एमएवी) (तीन से छह धुरी वाले)	3.45
बहुत बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

सारणी 2

स्थायी पुल, अथवा सुरंग की लागत(करोड़ रु. में)	कार, जीप, वैन या हल्का मोटर यान	हल्का वाणिज्यिक यान, हल्का माल यान या मिनी बस	ट्रक या बस	एचसीएम, इएमइ या एमएवी	बहुत बड़े आकार वाला वाहन
10 से 15	5	7.50	15	22	30
पन्द्रह करोड़ रुपये से अधिक और एक सौ करोड़ रुपये तक प्रत्येक अतिरिक्त पांच करोड़ रुपये अथवा उसके भाग, के लिए	1	1.50	3	4.50	6

टिप्पण :-

1. फीस का उद्ग्रहण और संग्रहण निम्नलिखित टोल प्लाजाओं पर ऐसे टोल प्लाजाओं के लिए विनिर्दिष्ट दूरी के लिए शोध और संदेय किया जायेगा

पथकर प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	लंबाई (कि.मी. म) जिसके लिए फीस संदेय है
35.250 कि.मी., हावड़ा जिले में जलाधुलागोरी गांव के पास	53.000
112.245 कि.मी., पश्चिम मेदीनापुर जिले में डेबरा गांव के पास	57.000

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित पुल के उपयोग के लिए, जिसकी लागत नीचे विनिर्दिष्ट की गई है, का शुल्क भी निम्नलिखित टोल प्लाजा पर शोध और संदेय करना होगा:

टोल प्लाजा की अवस्थिति (चैनेज)	लंबाई (कि.मी. में) और बाइपास की लागत (करोड़ रूपये में) जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क अदा करना होगा	
	लंबाई	लागत
35.250 कि.मी., हावड़ा जिले में जलाधुलागोरी गांव के पास	1.102	92.00

3. उन अनुबंधों में जिसमें शुल्क के उदग्रहण का अधिकार नियुक्ति तिथि से दिया गया है। समझौते के प्रावधानों के अनुसार नई पुल/सुरंग/संरचना के लिए अतिरिक्त शुल्क संरचनाओं और परियोजनाओं के पूरा होने के प्रमाण-पत्र जारी होने के बाद लागू होंगे।
4. वर्ष 2011-12 के लिए, स्थानीय निजी यातायात के संबंध में मासिक पास की दर 190.00 रूपए (एक सौ नब्बे रूपए मात्र) है जो, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक वर्ष पुनरीक्षण के अधधीन है।
5. राजमार्ग सेक्शन पर बहुरात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर प्रदान किये जाएंगे, अर्थात् :-

संदेय रकम	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए फीस का डेढ़ गुणा	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पंचारा या अधिक एकल यात्राओं के लिए संदेय फीस की रकम का दो तिहाई	पंचारा या उससे अधिक	संदाय की तारीख से एक मास

6. जो यांत्रिक यान नियमों के अधीन अपने प्रवर्ग के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदे हुए होंगे उन्हें उन दरों पर शुल्क का संदाय करना होगा जो उनसे अगली उच्च श्रेणी के यानों के लिए लागू होता है और उन्हें तब तक राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि ऐसे यांत्रिक यान से अधिक भार को हटा न दिया जाए।
7. यांत्रिक यानों के प्रवर्ग, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूटप्राप्त यानों के प्रवर्ग, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।
8. उक्त नियम के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।
9. फीस का पुनरीक्षण उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक रूप से किया जाएगा परंतु वह पूर्ववर्ती पुनरीक्षण की तारीख से छः मास की अवधि के भीतर नहीं किया जायेगा।

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/630/11-12/सीओ/जीसी कोलकता (17.60-129.00) बीओटी]

बी. बी. मोहपात्रा, निदेशक

टिप्पण :- भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 993 (अ), तारीख 18 जून 2007 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुये जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS.**NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th January, 2012

S.O. 195(E).—Whereas by notification of the Government of India in the *Ministry of Road Transport and Highways* number S.O. 78 (E), dated the 4th February, 1999, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988, the Central Government has entrusted the stretch from kilometer 0.000 to kilometer 136.000 (Calcutta – Kharagpur section) of National Highway No. 6 in the State of West Bengal to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the “Authority”);

And whereas, pursuant to the provision of section 14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Authority has entered into an Agreement (hereinafter referred to as said agreement) with M/s Ashoka Dhankuni Kharagpur Tollway Ltd., having its registered office at Ashoka House, Ashoka Marg, Nashik – 422011 (hereinafter referred to as the “Concessionaire”), the successful bidder for bids submitted on 10.01.2011 for the development of Dhankuni – Kharagpur section from Km 17.600 to Km 129.000 on National Highway No. 6 (hereinafter referred to as the “said section”) to six lane divided carriageway and operation and maintenance of the said section.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the “Rules”), the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said section, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of the agreement entered into between the authority and the concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of the said section at the rate specified in columns (2) of the Table 1 for net road section length for use of the four and more lane sections (hereinafter referred to as “base rate”) and at the base rates specified in the Table No.2 for bridges/structures costing Rupees Fifty crore or more on the Type of Vehicles specified in Table 1 and 2 below, and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the fee on and from the date of commercial operation or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date as specified in the agreement;

Table 1

Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (three to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

Table 2

Cost of permanent bridge, or tunnel (Rupees in crore)	Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	Truck or Bus	HCM, EME or MAV	Oversize d Vehicle
10 to 15	5	7.50	15	22	30
For every additional Rupees five crore or part thereof, exceeding Rupees fifteen crore and up to Rupees one hundred crore.	1	1.50	3	4.50	6

Notes :-

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza for the distance specified for such Toll Plazas:

Location of Toll Plaza(s) (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable
Km 35.250, near Jaladhulagori village in Hawrah district.	53.300
Km 112.245 near Debra village in Paschim Medinipur district	57.000

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bridge, from the date of completion of bridge and opened to traffic, cost of which is specified hereunder, at the following Toll Plaza:

Location of Toll Plaza(s) (chainage)	Length (in km) and Cost of bridge /structure (in Rupees crore) for which additional fee is payable	
	Length	Cost
Km 35.250 near Jaladhulagori village in Hawrah district	1.102 km	Rs 92.00 crore

312 GI/12-2

3. In case of contracts in which tolling rights have been given from the Appointed date, the additional rate of fee for new bypasses and bridge/Tunnel/Structure shall be made applicable only after completion of such bypasses and structures and the project and completion certificates are issued in accordance with the provisions of the concession agreement.

4. The rate of monthly pass for local personal traffic is Rs. 190.00 (rupees One Hundred Ninety only) for the year 2011-12 which is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

5. For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely.

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys or more	Fifty or more	One month from date of payment

6. Mechanical vehicles which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the Rules, shall be liable to pay fee at such rates which is applicable for the next higher category of the vehicles and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the Rules.

8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said Rules.

9. The fee rates shall be revised annually in accordance with the Rule 5 of the said rules provided that no revision shall be effected within six months.

[F. No. NHAI/13013/630/11-12/CO/GC Kolkatta (Km 17.60-Km 129.00) BOT]

B. B. MOHAPATRA, Director

Note: This fee notification is in supersession of the notifications of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 1525 (E), dated the 13th September, 2006 and S. O. 993 (E), dated the 18th June, 2007 except as respect things done or omitted to be done before such supersession.